IJMETS
International Journal of Modern Engineering, Technology and Sciences
ijmets.org | ISSN: 2277-1549

पर्यावरण संरक्षण के परिपेक्ष में न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता

कुसुम लता मौर्या
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, UNPG कॉलेज, पडरौना
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश:

हाल के वर्षों में न्यायपालिका सिर्फ न्याय प्रदान करने का कार्य ही नहीं कर रही है बल्कि सामाजिक हितों को संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की भूमिका भी अदा कर रही है। आज चाहे औद्योगिक प्रदूषण कम करने की बात हो, ताजमहल को प्रदूषण से बचाना हो, गंगा नदी की स्वच्छता की बात हो, चाहे धूम्रपान से सर्वसाधारण के स्वास्थ्य को बचाने जैसा गंभीर मुद्दा हो, या वे छोटे-छोटे बालक जो किसी कारखानो व खानों या अन्य संकट पूर्ण कार्य में नियुक्त नैनिहालो की चिंता ने हो या वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसे मामले हो इन सब मामलों को न्यायपालिका ने जनहित के माध्यम से सुना और इनसे संबंधित कानून को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया साथ ही जिन पर्यावरणीय मुद्दों पर कानून नहीं है उन पर सख्त निर्देश दिए।

मुख्य शब्द- पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, न्यायपालिका, प्रदूषण, संरक्षण, विश्व जागरूता

1. प्रस्तावना

पर्यावरण एक अति व्यापक संकल्पना है। इस शब्द को एक निश्चित परिधि में व्यक्त करना कठिन कार्य है मनुष्य, जीव-जंत, पशु,, पक्ष, वनस्पतियां यह सभी पर्यावरण की उपज है । एक शांतिपूर्ण एवं स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि मनुष्य पर्यावरण से अन्योन्यक्रिया करने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता लेता है क्योंकि प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के विकास का सूचक होता है अर्थात जिस देश ने प्रौद्योगिकी का विकास ज्यादा किया वहां विकास की गति अन्य की अपेक्षा ज्यादा तीव्र होती है। आज प्रौद्योगिकी विकास के नाम पर अनेक ग्रामीण भूमि पर फैक्ट्रीरियों की स्थापना हो चुकी है या नए उद्योगों के लिए ग्रामीण भूमि की मांग हो रही है जिससे कृषि योग्य भूमि की कमी हो रही है और भूमि रहित कृषक जीविकोपार्जन करने से वंचित हो रहे हैं वे बेघर हो रहे हैं और पलायन भी कर रहे हैं जबकि सतत विकास की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि आने वाली पीढ़ी की जरूरत को नुकसान पहुचाये बिना आज की पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने का विकास। लेकिन जब कृषि योग्य भूमि ही नहीं रहेगी तो आगे आने वाली पीढ़ी फसल का उत्पादन कैसे करेंगी।

अतः इन परिस्थितियों से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्देश से यह स्पष्ट किया है कि यदि सरकार पर्यावरणीय प्रभाव का समुचित ध्यान रखें बिना किसी ऐसी विधि या अन्य कोई प्रोजेक्ट के निर्माण का निर्णय लेती है जिसके फल स्वरुप हजारों लोग बेघर हो जाएंगे और जीवकोपार्जन के अधिकार से वंचित हो जाएंगे तो सरकार का ऐसा कदम संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा और असवैधानिक माना जाएगा परंतु यदि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करके किसी निर्माण के लिए लोगों को बेघर करती है तो सरकार का यह कार्य अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में नहीं होगा। आज मानव गतिविधियों में तेजी से वृद्धि, नगरीकरण,औद्योगीकरण आदि के प्रभाव से वातावरण सतत रूप से नष्ट होता जा रहा है आज पर्यावरण प्रदूषण किसी स्थान राज्य या राष्ट्र की एकल समस्या नहीं रह गई है बल्कि यह एक विश्व व्यापी समस्या बन गया है। अतः हमारी भी नैतिक

जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण को आगे आने वाली पीढ़ियां के लिए सुरक्षित रखें और स्वयं भी स्वस्थ रहें ताकि निश्चित सीमा वाली पृथ्वी पर भौतिक विकास सर्वदा जारी रहे।

2. अध्ययन के उद्देश्य

पर्यावरणीय अध्ययन द्वारा स्थानीय एवं क्षेत्रीय पर्यावरण के स्वरूप को समझना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करना।

1. पर्यावरण संबंधी विधि व्यवस्था एवं अधिनियम व नियम के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
2. सतत विकास की अवधारणा को जानना व समझना।
3. अत्यधिक उद्योगो की स्थापना से ग्रामीण जनजीवन ग्रामीण समाज व ग्रामीण भूमि पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
4. पर्यावरण प्रदूषण व उद्योगों के मनमाना स्थापना के संबंध में न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्देशों को जानना।
5. प्रौद्योगिकी के विकास से मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

3. साहित्यावलोकन

डा0 हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक" **पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भूगोल"** मे पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों (वायु, जल,ध्वनि प्रदूषण) सहित अंतरराष्ट्रीय प्रयास,सतत विकास,भारत में पर्यावरणीय विधि व्यवस्था पर्यावरण संगठन और उनके संरक्षण आदि सभी विषयों पर विस्तृत पूर्वक लिखे हैं।

डॉ एच एस गर्ग ने अपनी पुस्तक **"पर्यावरणीय भूगोल" में** मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरणीय समस्याएं और उनके प्रबंधन, विश्वस्तरीय पर्यावरण कार्यक्रम और नीतियों, भारत की नई पर्यावरण नीति के अंतर्गत सरकार की पहल आदि विषय पर विस्तार पूर्वक अपने विचार लिखे हैं।

डॉक्टर सविंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक **"पर्यावरण भूगोल"** पर्यावरण के प्रमुख विषयों के साथ पर्यावरण प्रबंधन पर्यावरण के संदर्भ में शासन की नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका आदि विषय पर विचार दिए हैं।

डॉ एच एम सक्सेना, राहुल सक्सेना, पूजा सक्सेना जी की पुस्तक "पर्यावरण भूगोल" मे भारत में पर्यावरणीय मुद्दों एवं उनके प्रबंधन, पर्यावरणीय नीति एवं विधि व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, आदि विषय पर अपने विचार लिखे हैं।

डॉ प्रभात कुमार ने अपनी "पुस्तक न्यायपालिका के बहुआयाम" में न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले शीर्षक के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश, निर्देश एवं फैसलो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किए हैं।

4. मुख्यपाठ

जनहित याचिकाओं के इस दौर में न्यायपालिका ने सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ जनहित याचिकाओं के माध्यम से आए विभिन्न वादों मे पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार के सकारात्मक तथा नकारात्मक कृत्यो का मूल्यांकन कर अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं।आज इस क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप के कारण सुस्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो और शहरी निकायों को झकझोर दिया है आज ये निजी एवं सरकारी एजेंसियां समाधान ढूंढने में लगी हैं। पर्यावरण अवनयन में वृद्धि एवं इसके विपरीत प्रभाव के कारण विगत कुछ दशकों से पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर विश्वस्तर पर पर्यावरण की संरक्षण व सुधार के प्रयास किया जा रहे हैं। आज विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पर्यावरण जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। पर्यावरण की संरक्षण के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शोध संस्थानों, विज्ञान परिषदों व व्यक्तिगत प्रयास हर देश द्वारा किए जा रहे है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित हैं –

1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन **स्टॉकहोम** में हुआ यह सम्मेलन पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाला पहला विश्व सम्मेलन था।संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना भी इसी कांफ्रेंस के निर्णय के बाद हुआ था। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के राजनेताओं,पत्रकारों, मीडिया प्रमुखों सरकारी व गैर सरकारी संगठनो,सामाजिक संस्थाओं आदि से मानव समाज पर पर्यावरण के द्वारा पढ़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। इस सम्मेलन के पश्चात पर्यावरणीय सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दा बना।

1984 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग बना जिसे ब्रन्ट लैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसका उद्देश्य विश्व के देशों को सतत विकास के लक्ष्य की ओर निर्देशित करने में मदद करना था।यह 1984 से 1987 तक संचालित रहा और 1987 में अंतरिम रिपोर्ट दिया जिसका नाम "हमारा साझे भविष्य" था जिसके अनुसार आने वाली पीढ़ी की जरूरत को नुकसान पहुंचा बिना आज की पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने वाला विकास था।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन के दौरान निम्न विचारणीय विषय पर चर्चा हुई।

- विश्व को प्रदूषण से बचने के लिए वित्तीय प्रबंध
- वनों का प्रबंधन
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण
- जैविक विविधता
- सतत विकास

2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। इसके आठ उद्देश्य निर्धारित किए गए जिनको प्राप्त करने के लिए 2000 से 2015 तक का समय भी निर्धारित किया गया यह आठ उद्देश्य निम्न है-

- भुखमरी तथा गरीबों को समाप्त करना
- सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा
- लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण
- शिशु मृत्यु दर घटाना
- मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना
- एचआईवी, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना
- पर्यावरण सततता
- वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना

इन लक्ष्यों को अनेक देशों ने असमान रूप से प्राप्त किया। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 में अधिवेशन में 2015 से 2030 तक के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पर विचार किया गया इसमें 17 अन्य लक्ष्य को निर्धारित किया गया है इन लक्ष्य का उद्देश्य भी समग्र एवं समान विकास को बढ़ावा देना है और और ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न करना है जिससे सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण संबंधी प्रभाव समान रूप से निपटा जा सके।

5. राष्ट्रीय एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास

1. पर्यावरण संबंधी अनेक अभियान एवं आंदोलन राष्ट्रीय, स्थानीय, सामाजिक स्तर पर भी किए गए।जिसमें

2. चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, टिहरी बांध,नर्मदा बचाओ, शांति घाटी आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन ताज टारपेजियम आदि आंदोलन महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके अलावा पर्यावरण के संबंध में जागरूकता लाने के लिए अनेक दिवसों का आयोजन,स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना अन्य विभागों में पर्यावरण चेतना अभियान आदि सरकार द्वारा समय-समय पर किए जा रहे हैं।

5.1 पर्यावरण संबंधी संवैधानिक प्रावधान

42 में संवैधानिक संशोधन (1976): अनुच्छेद 48(क) के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें एवं वनवा वन्य जीव की सुरक्षा को शामिल करें।इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 भी जीवन जीवन के गौरव व एक संतुलित पर्यावरण में रहने तथा संक्रामक बीमारी एवं उनके खतरों से बचने से संबंधित है।अनुच्छेद 51ए में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वान झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्न संवैधानिक प्रावधान भी हैं –

i. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972

ii. जल (प्रदूषण रोकथाम में नियंत्रण) अधिनियम 1974
iii. वायु (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981
iv. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
v. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981।

6. न्यायपालिका द्वारा प्रयास

औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिए। **एम.सी. मेहता** की अपील पर न्यायालय ने जूता और ढलाई उद्योग को बंद करने का आदेश दिया। **'सुशीला आरा मिल बनाम उड़ीसा राज्य'** संरक्षित वन क्षेत्र में आरा मिल व्यवसाय के पूर्ण निषेध को वैध ठहराया। एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद में ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ताज क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा कोयले के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया तथा ताजमहल के आसपास 200000 पौधा रोपण के आदेश भी दि।इसी प्रकार गंगा नदी के स्वच्छता को लेकर पड़े जनहित बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अत्यधिक संयंत्रो को बंद करने के निर्देश दिए साथ ही 250 शहरों एवं कस्बो को सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने को कहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित पर्यावरण विद् एमसी मेहता ने एक याचिका डाली जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में शिशा रहित पेट्रोल के उपयोग का आदेश दिया एवं वाहनों में प्राकृतिक गैस और अन्य स्वच्छ इंधनों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य एवं शांति व्यवस्था को खतरा होता है अतः न्यायालय ने आतिशबाजी से संबंधित निर्देश दिए की अनुज्ञेय सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले आतिशबाजियों के निर्माण विक्रय व उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी प्रकार न्यायालय ने अजान के समय लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन का प्रयोग करना आवश्यक नहीं माना। इसके अलावा अन्य अनेक मामले हैं जिन पर न्यायालय ने जनहित के द्वारा फैसला सुनाया।

इस प्रकार न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवसाय करने का अधिकारी नहीं है जिससे समाज के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा हो अर्थात एक व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यवसाय नहीं किया जा सकते जिस व्यावसायिक गतिविधि द्वारा पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न हो जाए।

7. निष्कर्ष

पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा आज खाद्यान्नो,शुद्ध हवा, पानी आदि की समस्या उत्पन्न हो गई है यदि यही स्थिति रही तो व्यक्ति का **'जीने का अधिकार'** निरर्थक हो जाएगा अतः मनुष्य को अपनी जीवन शैली को **'मूल्य'** आधारित बनाना होगा। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के संबंध में विधेयक लाकर पर्यावरणीय न्यायालय की स्थापना करना महत्वपूर्ण कदम होगा। इस दिशा में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना एक अच्छा कदम माना जा सकता है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, प्रदूषण संबंधी क्षतिपूर्ति और पर्यावरण पुनर्स्थापना से संबंधित मामलों को प्रभावी और त्वरित रूप से निपटारा करना है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है पर्यावरण को सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए देश में पर्यावरणीय न्यायालय की स्थापना राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर एवं ग्राम स्तर तक होना चाहिए इसके अलावा पर्यावरण जागरूकता अभियानों का समय-समय पर आयोजन होना चाहिए।

8. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार, डॉ प्रभात, *न्यायपालिका के बहुआयाम,* प्रभात प्रकाशन, 2019
2. गर्ग, डॉ एच. एस., *पर्यावरणीय भूगोल,* एस बीपीडी प्रकाशन, 2018
3. सक्सेना, एच. एम., सक्सेना, राहुल, सक्सेना, पूजा, *पर्यावरण भूगोल* रावत पब्लिकेशन, 2020
4. सक्सेना, डॉ हरिमोहन, *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भूगोल* राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2019
5. सिंह, सविंद्र, *पर्यावरण भूगोल* प्रयाग पुस्तक भवन, 2015